टीही-धार रेल लाइन का सीआरएस निरीक्षण और स्पीड ट्रायल सफल

- 120 किमी प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से दौड़ा निरीक्षण यान
- पीथमपुर के उद्योगों को मिलेगी नई गति
- 47 किमी लंबे रेलखंड का दो दिवसीय निरीक्षण
- 3 किमी लंबी टीही टनल भी जांची अंतिम स्वीकृति के बाद शुरू होगा रेल परिचालन





नवभारत न्यूज़

इंदौर. इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है. पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के अंतर्गत टीही-धार के बीच नवनिर्मित 47 किलोमीटर लंबे रेलखंड का रेल संरक्षा आयुक्त सीआरएस द्वारा निरीक्षण और गति परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया. इस दौरान रेलवे ट्रैक, पुलों, सिग्नलिंग, विद्युतीकरण और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई. इसके बाद विशेष निरीक्षण यान को 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से दौड़ाकर ट्रैक की क्षमता और संरक्षा मानकों को परखा गया.

पश्चिम परिमंडल के रेल संरक्षा आयुक्त श्री ई. श्रीनिवास ने 5 और 6 नवंबर 2026 को दो दिवसीय निरीक्षण किया. पहले दिन टीही से गुणावद और दूसरे दिन गुणावद से धार तक ट्रॉली के माध्यम से निरीक्षण किया गया. इस दौरान रेलवे ट्रैक, पुल-पुलियाओं, ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई), सिग्नलिंग प्रणाली और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया. करीब 3 किलोमीटर लंबी टीही टनल का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया. 6 नवंबर को निरीक्षण के बाद टीही-धार रेलखंड पर विशेष निरीक्षण यान से गति परीक्षण किया गया. 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से हुए इस ट्रायल में ट्रैक की गुणवत्ता और स्थिरता जांची गई और करीब 47 किलोमीटर की दूरी तय की. पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, सीआरएस निरीक्षण और गति परीक्षण का सफल होना इंदौर-दाहोद रेल परियोजना की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अंतिम सीआरएस स्वीकृति मिलने के बाद इस रेलखंड पर परिचालन शुरू होने का रास्ता साफ होगा.

यात्री सुविधा और पर्यटन को भी मिलेगी गति-रेलखंड शुरू होने से इंदौर, पीथमपुर और धार सहित आसपास के क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। भविष्य में यात्री और मालगाड़ियों के संचालन की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं धार के ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने से पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी लाभ मिल सकता है। यह परियोजना मालवा क्षेत्र के साथ आसपास के आदिवासी अंचलों के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी।

पीथमपुर के उद्योगों को मिलेगा फायदा

टीही-धार रेलखंड शुरू होने से इंदौर, पीथमपुर और धार की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी. खासतौर पर पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र को इसका बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है. यहां ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, वाणिज्यिक वाहन, इंजीनियरिंग, टायर, फार्मास्युटिकल, केमिकल और प्लास्टिक उद्योग स्थापित हैं. नई रेल लाइन से उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादों के परिवहन में बेहतर सुविधा मिलेगी. इससे माल ढुलाई का समय और लागत घटने के साथ व्यापार, निवेश, रोजगार और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है.



सात साल से फरार एनडीपीएस का आरोपी मुंबई से गिरफ्तार

- नारकोटिक्स विंग ने मीरा रोड स्थित फ्लैट पर दबिश देकर पकड़ा
- ड्रग्स तस्करी के मामले में 2019 से की जा रही थी तलाश

नव भारत न्यूज

इंदौर. नारकोटिक्स विंग की टीम ने 7 साल से फरार चल रहे एनडीपीएस के एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है. आरोपी वर्ष 2019 में दर्ज मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार चल रहा था. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने मुंबई के मीरा रोड स्थित एक फ्लैट पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया.

नारकोटिक्स सेल इंदौर में वर्ष 2019 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में खिलचीपुर, जिला रायगढ़ निवासी सौरभ गुप्ता उम्र 40 साल की तलाश थी. मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी गिरफ्तारी से बच रहा था. इस बीच नारकोटिक्स विंग को उसके मुंबई होने की सूचना मिली. टीम ने थाणे क्षेत्र में तलाश करते हुए मीरा रोड स्थित श्री शाश्वत टावर के फ्लैट पर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

इनकी रही सराहनीय भूमिका...

यह कार्रवाई एडीजी नारकोटिक्स डी. श्रीनिवास वर्मा के आदेश पर चलाए जा रहे 15 दिवसीय एंटी नारकोटिक्स अभियान के तहत डीआईजी कुमार प्रतीक के मार्गदर्शन में की गई. नारकोटिक्स विंग के डीएसपी संतोष सिंह हाड़ा ने बताया कि आरोपी सात साल से फरार था. सूचना मिलने पर टीम ने मुंबई में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया. कार्रवाई में निरीक्षक हरिओम रघुवंशी, मलय महंत, पूजा परिहार, प्रधान आरक्षक ओम राठौर, आदेश धाकड़ और आरक्षक भूषण काले की सराहनीय भूमिका रही.

नई बाइक लेकर जा रहे युवक की हादसे में मौत

अमझेरा के पास निर्माणाधीन ब्रिज पर हुआ हादसा

नव भारत न्यूज

इंदौर. धनतेरस पर इंदौर से नई मोटरसाइकिल खरीदकर घर लौट रहे 25 वर्षीय युवक की अहमदाबाद-इंदौर हाइवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसका साला गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा अमझेरा फाटे के पास निर्माणाधीन ब्रिज पर हुआ. परिजनों का आरोप है कि सड़क पर डायवर्जन का संकेतक नहीं होने के कारण मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई. अन्नपूर्णा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है.

मृतक की पहचान ननसू पिता मंगलीया उम्र 25 साल के रूप में हुई है. वह अपने साले मुकेश निवासी कुंदनपुर, पोस्ट राणापुर के साथ धनतेरस पर मोटरसाइकिल खरीदने इंदौर आया था. परिजनों ने दोनों को इंदौर जाकर बाइक खरीदने से मना भी किया था, लेकिन वे नहीं माने. दोनों ने इंदौर से नई मोटरसाइकिल खरीदी और उसे लेकर अपने गांव लौट रहे थे. बाइक ननसू चला रहा था और मुकेश पीछे बैठा था. अहमदाबाद इंदौर हाइवे पर अमझेरा फाटे के पास निर्माणाधीन ब्रिज पर सड़क का डायवर्जन किया था.

परिजनों ने पुलिस को बताया कि वहां डायवर्जन की जानकारी देने वाला कोई संकेतक या ब्लिंकर नहीं लगा था. इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में ननसू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे राहगीरों और परिजनों की मदद से निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है. सूचना मिलने पर अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया. शव को जिला अस्पताल भेजकर पोस्टमार्टम कराया. आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. हादसे के बाद परिजनों ने हाइवे निर्माण कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निर्माणाधीन ब्रिज पर पर्याप्त संकेतक नहीं लगाने की बात कही है.

दो स्थानों से 47.35 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त

- क्रेटा कार सहित तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने खजराना और छत्रीपुरा थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से कुल 47.35 ग्राम एमडी ड्रग्स और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही क्रेटा कार जब्त की गई है. जब्त माल की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई गई है.

खजराना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भगीरा गार्डन के पास घेराबंदी कर रिजवान अंसारी को पकड़ा. तलाशी लेने पर उसके पास से 18.5 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली, जिसकी कीमत करीब दो लाख रुपए बताई गई है. पुलिस ने ड्रग्स जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया. इधर, छत्रीपुरा पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए फैजल और मोहम्मद अफजल उर्फ फिरोज को गिरफ्तार किया है. दोनों के कब्जे से 28.85 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही क्रेटा कार भी जब्त की है. दोनों थाना क्षेत्रों की कार्रवाई में कुल 47.35 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

सप्लाई नेटवर्क को लेकर की जा रही पूछताछ

पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पता लगा रही है कि वे एमडी ड्रग्स कहां से लाते थे और शहर में किन लोगों को इसकी सप्लाई करते थे. साथ ही इस कारोबार से जुड़े अन्य सप्लायरों और नेटवर्क की भी जानकारी जुटाई जा रही है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है. दोनों थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से एमडी ड्रग्स और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार जब्त की गई है. आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है.

एक नजर में

जरूरतमंद बच्चों ने मनाई सार्थक दिवाली



महू. ग्राम कोदरिया स्थित श्री एकेडमी के विद्यार्थियों ने इस वर्ष दीपावली का पर्व सेवा, सहयोग और संवेदनशीलता के भाव के साथ मनाकर समाज के सामने एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया. श्री एकेडमी, रोटरी क्लब ऑफ महू कैंट एवं इनरव्हील क्लब ऑफ महू कैंट के संयुक्त सहयोग से संचालित 'गिफ्ट फॉर दिवाली' मुहिम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 50 बालक-बालिकाओं को दीपावली के उपहार, मिठाई, पटाखे, फुलझड़ियां, चॉकलेट मिल्क, टॉफी, लड्डू, बिस्किट एवं फल वितरित किए गए. इस विशेष पहल के लिए श्री एकेडमी के विद्यार्थियों ने अपनी ओर से सामग्री एवं धनराशि एकत्रित की और सामग्री खरीदी. इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को दान एवं सहयोग की भावना से परिचित कराना, उनके मन में सेवा और परोपकार के संस्कार विकसित करना तथा सामूहिक प्रयासों से समाज के उत्थान में योगदान देने की प्रेरणा देना था. विद्यालय के डायरेक्टर एवं रोटरी क्लब ऑफ महू कैंट के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार पाटीदार के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में यह आयोजन संपन्न हुआ. वहीं इनरव्हील क्लब ऑफ महू कैंट की अध्यक्षा डॉ. हेमलता पाटीदार का भी इस पुनीत अभियान में विशेष एवं महत्वपूर्ण सहयोग रहा. वहीं टीचर्स आरती रायक, संध्या पालीवाल तथा चंद्रशेखर श्रीवास का इस अभियान में विशेष सहयोग रहा. इस पुनीत कार्य में प्रज्वल, राघव सोनी, दिव्यांश केलोत्रा, कुमारी श्री पाटीदार, श्रीयन पाटीदार, प्रशांत सुले, सोनाक्षी सोलंकी एवं साक्षी शर्मा आदि स्टूडेंट का विशेष योगदान रहा.

प्रो. संगीत रागी के खिलाफ एफआईआर व गिरफ्तारी की मांग



महू. दिल्ली विश्वविद्याल के प्रोफेसर संगीत रागी द्वारा एक नेशनल टीवी चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान यादव अहीर समाज के खिलाफ की गई कथित अमर्यादित, अपमानजनक और जातिसूचक टिप्पणी को लेकर यादव समाज में भारी आक्रोश है. प्रोफेसर के इस आपत्तिजनक बयान के विरोध में महू यादव समाज और युवा यादव महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में युवा और वरिष्ठ प्रतिनिधि उग्र रोष व्यक्त करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रोफेसर संगीत रागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी समाज विशेष के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न करे. इस दौरान मुख्य रूप से महू यादव समाज के अध्यक्ष प्रकाश यादव, युवा यादव महासभा के प्रदेश महामंत्री मोटू यादव, राकेश यादव, धीरज यादव, अभिषेक यादव, ओम यादव, जयेश यादव, प्रदीप यादव, घनश्याम यादव, निहार यादव, अजय यादव, पिंटू यादव, राहुल यादव, नीरज यादव, आशीष यादव, प्रभात यादव, सुधीर यादव, संतोष यादव, अट्टू यादव, रिंकू यादव, अंकित यादव, देवेंद्र यादव, संदीप यादव, धर्मेंद्र यादव, सुनील यादव, प्रिंस यादव, कृष्णकांत यादव, सुशील यादव, कृष्णा यादव, कमल यादव, विनोद यादव और सुमित यादव सहित अनेक समाजजन व युवा उपस्थित रहे.

आईएसबीटी बस स्टैंड से तड़ीपार को चाकू के साथ पकड़ा



इंदौर. हीरानगर पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर शहर में घूम रहे एक आरोपी को स्प्रिंग वाले चाकू के साथ पकड़ा है. आरोपी आईएसबीटी बस स्टैंड के पास चाकू लेकर खड़ा था. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वह भागने लगा, पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. तलाशी लेने पर उसके पास से स्प्रिंग वाला चाकू मिला. पकड़े गए आरोपी की पहचान अभिषेक उर्फ पड़ी के रूप में हुई. जांच में सामने आया कि पुलिस आयुक्त न्यायालय से उसे जिला बदर किया था, इसके बावजूद वह शहर में मौजूद था. पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और रासुका के तहत कार्रवाई की है. एसीपी रुबिना मिजवानी ने बताया कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को चाकू के साथ पकड़ा है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है.

युवती की आत्महत्या के मामले में दो सहकर्मियों पर केस

- एक गिरफ्तार, दूसरे आरोपी ने खा लिया जहरीला पदार्थ
- मृतका और उसकी मां को आपत्तिजनक फोटो व संदेश भेजकर कर रहे थे परेशान

नव भारत न्यूज

इंदौर. मल्हारगंज थाना क्षेत्र में तीन दिन पहले फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली 22 वर्षीय यूवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके दो सहकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी युवती को ब्लैकमेल कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. इतना ही नहीं, युवती की मां को भी आपत्तिजनक फोटो, संदेश और चैट के स्क्रीनशॉट भेजे जा रहे थे. इससे परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली थी. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे ने पुलिस कार्रवाई के बीच जहरीला पदार्थ खा लिया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया है.

मृतका अंजलि पिता अतुल निवासी तिरुमला कॉलोनी एक निजी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करती थी. बुधवार रात उसने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. परिजन उसे तत्काल एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की. जांच के दौरान मृतका के मोबाइल फोन, वाट्सएप चैट और कॉल डिटेल खंगाली गई तो कंपनी में उसके साथ काम करने वाले विनय वर्मा निवासी बड़ी ग्वालटोली और पवन पाटिल निवासी स्कीम नंबर 51 की भूमिका सामने आई.

युवती को ब्लैकमेल कर रहे थे आरोपी

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि जांच में पता चला कि दोनों आरोपी युवती को अलग-अलग तरीकों से ब्लैकमेल कर रहे थे. वे लगातार उसे और उसकी मां को आपत्तिजनक फोटो, चैट के स्क्रीनशॉट और संदेश भेज रहे थे. युवती की मौत के पहले ही नहीं, बल्कि घटना के बाद भी विनय के लगातार फोन आने की जानकारी सामने आई. उन्होंने बताया कि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने विनय वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, दूसरे आरोपी पवन पाटिल को पुलिस कार्रवाई की भनक लगी तो उसने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया. तबीयत बिगड़ने पर उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस मामले में डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच कर रही है.

इचलकरंजी महानगरपालिका जि. कोल्हापूर
बांधकाम विभाग

जाहीर ई-निविदा सूचना क्रं. 14/2026-27 दि. 6/1/2026

- इचलकरंजी महानगरपालिकेकडील म.न.पा.फंड सन 2026-27 अंतर्गत महानगरपालिका मुख्य इमारत व अन्य इमारतीमधील विद्युतीकरण नूतनीकरण व अन्य अनुषंगिक 09 कामे मक्त्याने पुर्ण करुन घेण्यासाठी पात्र मक्तेदारांकडून ई-निविदा मागविणेत येत आहेत.
- सदर ई-निविदा http:mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दि. 7/11/2026 रोजी सकाळी 12.00 वाजले दि. 14/11/2026 दु.2.00 वाजेपर्यन्त पहावयास मिळेल.
- भरलेली निविदा सादर करणेची अंतिम दि. 14/11/2026 दुपारी 2.00 वाजेपर्यन्त राहील.
- शक्य झालेस निविदा दि. 16/11/2026 दुपारी 3.00 वाजता उपस्थित मक्तेदारांच्या समोर उघडणेत येईल.

तसेच निविदा संबंधी सर्व अटी व शर्तीची माहिती बांधकाम विभागात कार्यालयीन वेळेत व इ.म.पा नोटीस बोर्डावर तसेच http:mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर पहावयास मिळतील.

जा.क्रं./बांध/4859/2026 सही/-
महानगरपालिका कार्यालय अति. आयुक्त
दि. 06/11/2026 इचलकरंजी महानगरपालिका

6 किलो गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

- बदनावर के पहाड़ी इलाके से खरीदकर लाते थे गांजा
- इंदौर में छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचते थे

नव भारत न्यूज

इंदौर. कनाड़िया पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो युवकों को 6 किलो 87 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी बदनावर के पास पहाड़ी इलाके से गांजा कम दाम में खरीदकर इंदौर लाते थे और यहां छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर महंगे दामों में बेचते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही पल्सर बाइक सहित करीब ढाई लाख रुपए का माल जब्त किया है.

पुलिस टीम दीपावली के मद्देनजर 6 नवंबर को हॉट स्पॉट और शेडो एरिया में संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान



स्नेहजीव गार्डन के पास आम रोड पर एक बाइक पर सवार दो युवक दिखाई दिए. बाइक पर उनके बीच हरे रंग की प्लास्टिक की थैली रखी थी. संदेह होने पर पुलिस ने दोनों को रोका और तलाशी ली, थैली से 6 किलो 87 ग्राम गांजा मिला. पकड़े गए आरोपियों के नाम रोहित चौहान उम्र 29 साल, निवासी ग्राम बिछुआ, जिला देवास, हाल मुकाम मानसरोवर कॉलोनी, देवगुराड़िया और मुकेश भाबर उम्र 33 साल, निवासी ग्राम निंदवानिया, जिला धार के रूप में हुई है.

पुलिस ने गांजे की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपए और परिवहन में इस्तेमाल की जा रही बजाज पल्सर बाइक की कीमत करीब एक लाख रुपए आंकी है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नशे के आदी हैं और अपनी लत तथा महंगे शौक पूरे करने के लिए गांजे की सप्लाई करते थे. बदनावर के पास पहाड़ी इलाके से कम कीमत पर गांजा खरीदकर लाते और इंदौर में छोटी पुड़िया बनाकर महंगे दामों में बेचते थे. पुलिस अब उनसे गांजे के स्रोत और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है. कनाड़िया थाना प्रभारी तिलक करोले ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गांजे के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.

YES BANK यस बैंक लिमिटेड
शाखा पता : यस बैंक लिमिटेड, 9-1-1, एमजी रोड़, ट्रेजर आयलेंड के पास, इन्दौर म.प्र. 452001.

आधिपत्य सूचना [नियम - 8(1) अचल संपत्ति हेतु]

यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में, नीचे विस्तार में वर्णित ऋणी को मांग सूचना पत्र जारी किया था जिसके तहत उक्त 13(2) धारा के अंतर्गत सूचना के प्राप्त होने की तिथि से **60 दिनों** के अंदर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

ऋणी द्वारा संपूर्ण धनराशि न चुकाए जाने पर, एतद्वारा ऋणी को एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें दिए गए अधिकारों के अनुसरण में यहाँ वर्णित संपत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। ऋणी / सिक्योरिटी एवं आम जनता को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे बताई गई प्रॉपर्टी के साथ कोई लेन-देन न करें और उक्त प्रॉपर्टी के साथ कोई भी लेन-देन बैंक के नीचे बताई गई रकम के चार्ज के अधीन होगा, साथ ही इसमें सभी अन्य बकाया रकम, जिसमें लागत, शुल्क, खर्च और उस पर लगने वाला ब्याज भी शामिल है। विशेष रूप से ऋणी एवं सामान्य रूप से जनसाधारण को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा न करें एवं संपत्ति के साथ किसी प्रकार का सौदा यहाँ वर्णित राशि का उस पर अनुबंधित दर से ब्याज एवं लागत के भुगतान के साथ **यस बैंक लिमिटेड** को चुकाए जाने के अधीन किया जाएगा।

क्रं.	लोन नंबर	ऋणी/सह-ऋणी एवं बंधककर्ता का नाम/	बकाया राशि 13(2) नोटिस अनुसार	13 (2) सूचना दि. / कब्जे की दिनांक
1	AFH004 000951133 and AFH00400095114	नंदकिशोर शर्मा पिता मोहन लाल (ऋणी एवं बंधककर्ता) राखी शर्मा (सह-ऋणी)	Rs. 30,85,807.04/- (रु. तीस लाख पचासी हजार आठ सौ सात रुपये एवं चार पैसे मात्र) दिनांक 13.03.2026 तक	26.03.2026 / 05.11.2026
बंधक संपत्ति का विवरण: गांव मैंडकीचक, वार्ड नं. 7, ''मैनाश्री गीताश्री ग्रीन सिटी'' कॉलोनी, देवास, म.प्र., प्लॉट नं. 166 एवं वहां निर्मित मकान साइज एवं चतुर्सीमाएं निम्नानुसार हैं: **कुल प्लॉट क्षेत्रफल:** 60.00 वर्ग मीटर, **चतुर्सीमाएं:** पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः अन्य भूमि, उत्तरः प्लॉट नं. 167, दक्षिणः प्लॉट नं. 165				
2	HLN00400 1655503	श्री विजेन्द्र सिंह चौहान पिता भारत सिंह चौहान (ऋणी)	Rs. 17,42,701.00/- (रु. सत्रह लाख बयालीस हजार सात सौ एक रुपये एवं शून्य पैसे मात्र)दिनांक 26/03/2026 तक	26.03.2026 / 05.11.2026
बंधक संपत्ति का विवरण: संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग, प्लॉट नं. 291 का भाग, सिंगापुर श्याम विहार, गांव बिजुखेड़ी, तहसील एवं जिला इंदौर (म.प्र.), **850 वर्गफीट, चतुर्सीमाएं निम्नानुसार हैं:** पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः अन्य भूमि, उत्तरः प्लॉट नं. 290, दक्षिणः प्लॉट नं. 292				

हस्ते/-
स्थान : इंदौर, मध्य प्रदेश प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 05.11.2026 यस बैंक लिमिटेड

बिना लाइसेंस सड़क किनारे बेच रहा था पटाखे

नव भारत न्यूज

इंदौर. एरोड्रम पुलिस ने 60 फीट रोड पर बिना लाइसेंस अस्थायी दुकान लगाकर पटाखे बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसके पास से करीब 30 हजार रुपए कीमत के पटाखे जब्त किए हैं.

पुलिस टीम को एमपी पब्लिक स्कूल के पास पटाखे बेचने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर जांच की तो दुकानदार के पास बिक्री का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला. पुलिस ने विकास नगर, छोटा बांगड़दा रोड निवासी अंकुश कोलते उम्र 22 साल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से गंगा-जमुना, एटम बम, रस्सी बम और 25 शॉट सहित करीब 30 हजार रुपए के पटाखे जब्त किए. टीआई मनोज सिंह सेंधव ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए अवैध रूप से पटाखों के भंडारण और बिक्री पर कार्रवाई की जा रही है. बिना लाइसेंस सार्वजनिक स्थान पर पटाखे बेचने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी

कार्यालय उज्जैन नगर पालिक निगम, उज्जैन
छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन
(online) निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञप्ति क्र.1 1924 उज्जैन दिनांक :- 5/11/2028

निम्नांकित कार्य के लिए प्रपत्र 'अ' (फार्म ए) में प्रतिशत कम या अधिक के आधार पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन भोपाल के कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों से उक्त विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती हैं, तथा ठेकेदार की (श्रेणी सी) एम.पी. गवर्मेंट व सिरियल क्र. 1 का टेण्डर फार्म मूल्य 12500/- रहेगा। सिरियल क्र. 1 आनलाईन क्रय करने की अंतिम दिनांक 20.11.2026 समय 17:30, ऑनलाईन ई.एम.डी. राशि एवं समस्त दस्तावेज Submission करने की अंतिम दिनांक 20.11.2026 समय 17:30 रहेगी। निविदा की बिड दिनांक 23.11.2026 को समय 11:00 बजे खोली जायेगी।

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती हैं। यदि उपरोक्त निविदा ने किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी सूचना ऑन लाईन दी जावेगी। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नही की जावेगी।

क्र	टेण्डर क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र.	अर्नेस्टमनी रू.	समय अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	2026_UAD_525658_1	वार्ड क्र. 10 श्री क्षेत्र वाल्मिकीधाम आश्रम उज्जैन में डोम निर्माण कार्य।	1,4401,126/-	UADD ISSR SOR 02-08-2021	72100/-	365 दिन

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम उज्जैन